लोक-सभा

LOK SABHA

शनिवार, 4 दिसम्बर, 1971 / 13 अग्रहायण, 1893 (शक)

Saturday, December 4, 1971 / *Agrahayana* 13, 1893 (*Saka*)

लोक-सभा* ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the chair]

पाकिस्तानी आक्रमण के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Attack by Pakistan

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): आज प्रातः प्राप्त हुए समाचार के अनुसार पश्चिम पाकिस्तान सरकार ने हमारे विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया है । कल शाम पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा हमारी वायु सीमा का उल्लंघन किया गया तथा हमारे कई हवाई अड्डों पर आक्रमण किया गया । इसके साथ साथ उनकी थल सेना द्वारा पश्चिमी सीमा पर हमारे ठिकानों पर गोलाबारी की गई । उन के प्रचार माध्यम ने बिल्कुल निराधार आरोप लगाया है कि भारत ने उन पर आक्रमण कर दिया है ।

कलकत्ता से लौट कर मैंने अपने सहयोगियों से तथा विपक्ष के नेताओं से विचार विमर्श किया हम सब के विचार समान हैं। हम सब कृतसंकल्प हैं कि राष्ट्र की स्वतन्त्रता की रक्षा की जाये तथा हमलावर को मार भगाया जाये । मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले कठिन समय में हमारी एकता बनी रहेगी । आपात की उद्घोषणा कर दी गई है । आपात की उद्घोषणा के बारे में भारत के राजपत्र में 3 दिसम्बर, 1971 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1789 की एक प्रति मैं सभा-पटल पर रखती हूं [ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल०टी० 1219/71]

हमें दुख है कि पाकिस्तान अपनी मूर्खता से बाज नहीं आया तथा हमें इस बात का दुःख है, कि इस समय जबकि इस महाद्वीप की सब से बड़ी जरूरत विकास करना है, उस ने भारत और पाकिस्तान

---

*लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियम के नियम 15 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि लोक-सभा, जिसे सोमवार, 6 दिसम्बर, 1971 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित किया गया था, शनिवार, 4 दिसम्बर, 1971 को 11 बजे समवेत होगी।

Under Rule 15 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the Speaker directed that Lok Sabha which had been adjourned till 11 A.M. on Monday, the 6th December, 1971 would meet at 11 A.M. on Saturday, the 4th December, 1971.

की जनता को युद्ध में धकेल दिया है। हम अच्छे पड़ोसियों के रूप में रह सकते थे, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के लोगों को अपने भाग्य के बारे में कुछ कहने का अधिकार कभी नहीं मिला । इस संकट काल में हमारी प्रबल भावना विश्वास और भरोसे की है ।

पश्चिमी पाकिस्तानी सेना इसलिए क्रोधित हो उठी है, कि बंगला देश के लोगों ने उन मूल्यों का, जिन्हें सेना समझने में असमर्थ है, और जिन्हें उसने पाकिस्तान के प्रत्येक प्रदेश में कुचला है. समर्थन किया और उनके लिए संघर्ष किया । जैसे ही मुक्ति वाहिनी का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे ही पश्चिमी पाकिस्तानी सेना निराश होती गई । यह हमारी परम्परा रही है कि हम अत्याचारियों का नहीं, अपितु आक्रान्ताओं का समर्थन करें और इसलिए इस क्रोध की दशा हमारी ओर मोड़ दी गई है ।

पश्चिम पाकिस्तान ने अपने बंगला देश पर किये आक्रमण का विस्तार भारत पर पूर्ण युद्ध के रूप में कर दिया है । पश्चिम पाकिस्तान का सैनिक शासन साम्प्रदायिक अशान्ति और आन्तरिक गड़-बड़ को प्रेरित करने की आशा में संदेह और अफवाह फैलाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा उनके इरादों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए । हमें अपनी एकता और ऊंचे लक्ष्यों की भावना बनाये रखनी है ।

हमें लम्बे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए । उच्च उत्पादन चाहे यह कृषि क्षेत्र में हो या औद्योगिक क्षेत्र में हो, वह ऐसी बुनियाद है, जिस पर रक्षा का आधार है । किसान, श्रमिक, टैक्नी-शियन और व्यापारी के समर्पण द्वारा जवान के साहस और लड़ाई की क्षमता का समर्थन करना होगा।

व्यापारी समुदाय की जमाखोरी करने अथवा उच्च लाभ प्राप्त करने के अपने प्रलोभन से दूर रहने की एक विशेष जिम्मेदारी है । अपने आदर्शों की रक्षा करने और अपना मनोबल ऊंचा रखने के लिए राष्ट्र कलाकारों, लेखकों, अध्यापकों और छात्रों की ओर देख रहा है । मैंने अपने देश की नारियों को प्रत्येक संभव अन्न के दाने और रुपये को बचाने और बेकार जाने से रोकने की विशेष अपील की है । हम से प्रत्येक के बलिदान से राष्ट्र की ताकत का निर्माण होगा और यह शक्ति सदैव बनी रहेगी।

हम शांति के उपासक हैं और इसी शांति की रक्षा हमने करनी है । आज हम अपनी प्रादेशिक अखण्डता और राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ रहे हैं । इसके अतिरिक्त, जिन आदर्शों को हमने संजोये रखा है, उनके लिए और शान्ति के लिए हम युद्ध कर रहे हैं ।

आपात की उद्घोषणा के बारे में संकल्प—स्वीकृत

Resolution Re. Proclamation of Emergency—Adopted

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 3 दिसम्बर, 1971 को जारी की गयी आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 3 दिसम्बर, 1971 को जारी की गयी आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"